

महनतकशों का पैगाम

महनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

सासाहिक

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97



खोदा पहाड़
निकाली चुहिया

3

मुस्लिम सदस्यों
ने भाजपा छोड़ी

4

नेटवंदी से
कश्मीर हुआ
दोजख

5

गिलानी को याद
रखा जाये

6

केजरीवाल के
काम की छाप

8

वर्ष 33

अंक 11

फरीदाबाद

26 जनवरी-1 फरवरी 2020

फोन -8851091460

2.50

शहर में फूड सैपलिंग बना लूट का धंधा

फरीदाबाद (म.मो.) जनता को मिलावट रहित एवं शुद्ध खाने-पीने को मिलता रहे, इसके लिये सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक फूड इन्स्पेक्टर का पद बनाया था, जो जिले के सीएमओ के अधीन काम करता था। सीएमओ के कमाऊ पूर्तों में से एक बड़ा कमाऊ पूर्त फूड इन्स्पेक्टर भी हुआ करता जो खाने-पीने के सामान बनाने व बेचने वालों से अच्छी-खासी उगाही किया करता था।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ की इस लूट-कमाई को बंद करने के लिये फूड इन्स्पेक्टर का पद समाप्त कर अलग से एक प्राधिकरण (अथॉरिटी) बना दी। इसके तहत हर जिले में एक डीओ और उसके अधीन एक डेजिनेटिड ऑफिसर व उसके आधीन एक एफएसओ (फूड सैपलिंग ऑफिसर), एक असिस्टेंट यानी बाबू और एक डाटा इंट्री ऑफिटर नियुक्त कर दिया गया। इस स्टाफ का सीएमओ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सीधे चंडीगढ़ स्थित प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

विज की इस नई व्यवस्था के तहत फरीदाबाद में एनडी शर्मा बतौर डीओ तैनात है जो पहले फूड इन्स्पेक्टर हुआ करता था। यह द्वितीय श्रेणी का पद है। इसके अधीन एक सरकारी डॉक्टर आदित्य चौधरी बतौर एफएसओ तैनात है। डॉक्टर का पद प्रथम श्रेणी का होता है लेकिन जब लूट-कमाई ही करनी हो तो पद और श्रेणी का क्या देखना, किसी तरह जुगाड़बाजी लगा कर इस पद को हथिया लिया जाता है। इस पद पर दोहरा मज़ा



मंत्री अनिल विज : फूड सैपलिंग का बन्द दफ्तर
सिर्फ लूट का हिसाब रखने के लिए खुलता है

यह है कि न तो किसी दफ्तर में हाजिरी देनी है न कोई काम करना है, बस घर बैठे लूट-कमाई का हिस्सा चुप-चाप मिल जाता है।

असिस्टेंट के पद पर तैनात राजीव कुमार इसी महकमे में चपरासी से कर्लक और पदोन्नत होकर असिस्टेंट हो गया। इसका जोड़ीदार मनिंदरपाल सिंह डाटा इन्हीं ऑफिटर ठेकेदारी पर है। इसके काले कारनामों की लिस्ट जब सिरसा में बहुत लम्बी हो गयी थी तो इसे ब्लैक लिस्ट कर

काम से हटा दिया गया था; परन्तु राज्य में व्याप भ्रष्टाचार एवं जुगाड़बाजी के चलते यह न केवल काम पर बहाल हो गया बल्कि लूट-कमाई में नम्बर वन जिला फरीदाबाद में तैनात हो गया।

इन दोनों की जोड़ी के पास अपनी एक निजी स्विप्ट कार है जिस पर अवैध रूप से अंग्रेजी में लाल पेंट से लिखा है, “गवर्मेंट ऑफ हरियाणा” इन दोनों की जोड़ी अपने दोनों अफसरों के आशीर्वाद से बाजारों में सैपल भरने का डरावा दिखा

मोदी सरकार का ईएसआई निगम कर रहा मज़दूरों के जीवन से खिलवाड़

फरीदाबाद (म.मो.) गांतक में सुधी पाठकों ने पढ़ा था कि एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मज़दूरों की देख-भाल के लिये नर्सिंग स्टाफ की कितनी भारी कमी है। जहां 6 मरीजों की देखभाल के लिये एक नर्सिंग स्टाफ होना चाहिये वहां 26 पर एक लगा है। ऐसे में मरीजों के भाई-बंधु दिन-रात बैठ कर अपने मरीजों की देख-भाल करते हैं। लेकिन जो मरीज अति गंभीर हालत में होते हैं उन्हें अपने भाई-बंधुओं की देख-रेख के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे मरीजों को साधारण वार्ड की बजाय आईसीयू (गहन देख-रेख इकाई) में रखा जाता है।

राज्य भर के किसी भी ईएसआई अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था न होने के चलते ऐसे मरीजों को निजी व्यापारिक अस्पतालों में रैफर कर दिया जाता था जो मरीजों से भी (डरा-धमका) वसूली करते थे और ईएसआई से भी करोड़ों रुपये के बिल प्रति वर्ष वसूलते थे। रैफरल बिलों के भारी-भरकम भुगतान से बचने के लिये चाहिये तो यह था कि, अपनी आवश्यकता को देखते हुए, निगम अपने अस्पतालों में निजी अस्पतालों से भी बेहतर आईसीयू

आवश्यक हैं वहां केवल 20 नर्स ही तैनात हैं। जाहिर है कोई भी नर्स 24 घंटे पूरा सप्ताह तो तैनात रह नहीं सकता। इस लिये यहां आवश्यकता है 70 नर्सों की और डॉक्टर भी एनेस्थिसिया व मेडिसन के होने चाहिये।

परन्तु जब पूरे अस्पताल में ही 40 अनेस्थिसिया डॉक्टरों की जगह कुल 12 डॉक्टर हों तो आईसीयू में लगाने को कहां से आयेंगे?

लगभग यही स्थिति मेडिसन विभाग के डॉक्टरों की है। इन हालात में आईसीयू में डाले जाने वाले मरीजों से पिंड छुड़ाने के लिये उन्हें दिल्ली के लिये रैफर करके एम्बुलेंस में डाल कर एम्स या सफरदर्जनग में धकेल दिया जाता है जहां पहले से ही हाउसफुल चल रहा है। समर्थ मरीज किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करता है और असमर्थ मौत को गले लगाता है।

यहां गौरतलब बात यह है कि मोदी सरकार एक और तो बीते द्वाई वर्षों से, चिकित्सा के नाम पर आयुष्मान का ड्रामा खेलने में जुटी है वहां दूसरी ओर मज़दूरों के बेतन से साढ़े छः प्रतिशत की वसूली कर लाखों करोड़ के खजाने पर कुंडली मार कर भी मज़दूरों को वांछित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से हाथ खींच रही है।

कर दिन भर अवैध वसूली करने में जुटे रहती हैं।

नियमानुसार इन दोनों को तो बीके अस्पताल स्थित अपने दफ्तर में बैठना चाहिये तथा ऊपर के दोनों अधिकारियों को दिनर्चय यानी मूवमेंट रजिस्टर में भर कर बाजारों में निकलना चाहिये तथा सही ढंग से खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की रोक-थाम करनी चाहिये, जो ये नहीं करते। कानून डीओ अपने हस्ताक्षर से स्लिप जारी करता है जो लिये गये सैपल पर चिपकाई जाती है। केवल एफएसओ सैपल लेने को अधिकृत होता है। परन्तु मिलीभगत के चलते डीओ अपने असिस्टेंट को ही कोरी स्लिप हस्ताक्षर कर के दे देता है जिसके बल पर यह जोड़ी फरीदाबाद से पलवल व नूह तक धमाल मचाती है। प्रति माह 30 सैपल भर कर लैबोरेट्री

भेजने की औपचारिकता ये लोग जरूर पूरी करते हैं। ताकि नौकरी कायम रह सके। इस काम में भी ये लोग दुनिया भर की जुगाड़बाजी करते हैं। ऐसे डिव्हावंद सैपल लेंगे जो पास होने ही होते हैं लेकिन उनको पास करने के नाम पर अच्छी-खासी वसूली कर लेते हैं।

वैसे कम तो लैबोरेट्री में बैठे घाघ भी नहीं हैं। वे अच्छे-खासे पास होने वाले सैपल को फ्रेल तथा फ्रेल होने वाले को पास करने का धंधा खुलेआम चला रहे हैं।

इसी महकमे में एक कर्मचारी ने अनजाने में इस संवाददाता को बताया कि उन्हें न केवल जिले भर के प्रशासनिक अधिकारियों की फटीके भुतानी पड़ती हैं बल्कि सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की फटीक भी करनी पड़ती है।

फरीदाबाद नगर निगम कर चोरों पर तो कार्यवाही लेकिन कामचोरों और रिश्वतखोरों को छूट

फरीदाबाद (म.मो.) फरीदाबाद नगर निगम ने कर चोरों के खिलाफ पिछले करीब तीन माह से अभियान छेड़ा हुआ है। निगम के अनुसार शहर के विभिन्न बकायेदारों पर लगभग 220 करोड़ रुपये का सम्पत्ति कर बकाया है। इसमें 150 करोड़ रुपये द्योगों और कर्मचारी भवनों पर बकाया है। करीबन दस हजार लोग ऐसे हैं जिन पर 50 हजार रुपये से ज्यादा सम्पत्ति कर बकाया है। निगम अभी तक ऐसे 15000 कर चोरों को कर जमा करने का नोटिस भेज चुका है तो 300 भवनों को अभी तक सील कर चुका है।

31 जनवरी तक भी जो लोग कर नहीं जमा करायेंगे निगम उनकी सम्पत्ति कुर्क करके नीलाम करने की योजना बना रहा है ताकि वह अपने सम्पत्ति कर की राशि उनसे वसूल सके। निगम ने 31 जनवरी तक व्याज मासी योजना भी चलाई हुई है जिसके तहत 2010 से बकाया सम्पत्ति कर एकमुश्त जमा करवाने पर कोई पेनल्टी या व्याज नहीं लिया जायेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते निगम का दस्ता एस्कॉर्ट ग्रुप के मथुरा रोड स्थित कॉरपोरेट ऑफिस को भी सील करने पहुंचा था लेकिन सिर्फ उनके सामने रिश्वतखार वापिस लौट गया। एस्कॉर्ट ग्रुप पर कई करोड़ रुपये सम्पत्ति कर बकाया है।

निगम अपने पैसे वसूल करने को तो पूरा तरह है लेकिन उस पैसे के बदले उसे जो सेवायें देनी चाहिये उनके बार